# सार्वजनिक सूचना

## निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,

शिक्षा सदन, प्रथम तल, सैक्टर–5, पंचकुला

**सरकारी सहायता प्राप्त अराजकीय विद्यालयों के कर्मचारियों की शिकायत निवारण व्यवस्था।**

उन सरकारी सहायता प्राप्त अराजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा अन्य सेवालाभ के विषय में विभिन्न शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। ऐसे कुछ अध्यापकों/कर्मचारियों द्वारा माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिकाएं भी दायर की गई हैं। कर्मचारियों की उक्त समस्या के समाधान के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर दो अलग–अलग शिकायत निवारण समितियों का गठन किया गया है। यदि किसी ऐसे कर्मचारी की कोई शिकायत है तो वे जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करवाकर रसीद प्राप्त कर लें एवं यदि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी उनकी शिकायत का निवारण करने में असफल रहते हैं तो ऐसे अध्यापक/कर्मचारी निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा के कार्यालय में स्थित राज्य स्तरीय समिति को अपना आवेदन कर सकते हैं। संबंधित समितियों का अन्य विवरण इस कार्यालय की वेबसाईट **www.harprathmik.gov.in** पर देखा जा सकता है।

निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकुला।